

शहर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, हरियाणा सरकार की 19.08.2013 दिनांकित अधिसूचना सं. PF-27/48921 के अनुसार उल्लिखित नीति के नियमों और शर्तों पर विकसित किए जाने वाले प्रस्तावित अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट (प्रोजेक्ट पूरा होने के अंतिम चरण में है) के तहत आवासीय अपार्टमेंट की बुकिंग के लिए सर्वसाधारण से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। (विवरण विभागीय वेबसाइट [tpharyana.gov.in](http://tpharyana.gov.in) पर उपलब्ध है)

**Ákt DV dsfooj.k**

<b>1- dWkubt j@Moyij</b>		सिग्नेचर बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड					
<b>2- Ákt DV dks Ákr LohNfr</b>		लाइसेंस नं./वर्ष : 25 / 2016 एवं 29.11.2016. भवन योजना की स्वीकृति 7.6.2017 माध्यम/मैमो नं. ZP-1012/SD(BS)/2017/12388 दिनांक 7/6/17.   हरियाणा रेरा प्रमाणित नं.: 4 of 2017 दिनांक 20-06-2017					
<b>3- LfkU</b>		सेक्टर 107, गुरुग्राम					
<b>4- Ákt DV ds {skQy l rakh Aloekku</b>		हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत 3 एकड़ में कुल 448 अपार्टमेंट में से 45 अपार्टमेंट आवेदकों के लिए उपलब्ध हैं। इनमें से पॉलिसी अनुसार 5% प्लेट मैनेजमेंट कोटे में आरक्षित हैं और 95% अपार्टमेंट सर्वसाधारण के लिए हैं। समुदाय सुविधाएँ : 2000 वर्गफुट का एक समुदाय भवन और 2000 वर्गफुट का एक आँगनवाड़ी-सह-क्रेश।					
<b>5- viKZw dsfooj.k vlvu nj vS Hqrku dsfu; e</b>		अपार्टमेंट के विवरण					
कैटेगरी (टाइप)	यूनिट की संख्या	एरिया (वर्गफुट)	बाल्कनी एरिया लगभग (वर्गफुट)	अपार्टमेंट के एलॉटमेंट की दर (सब मिलाकर)	आवेदन के साथ बुकिंग की राशि 5%	एलॉटमेंट पर 20%	
2BHK - T2	31	577.946	82.57	23,53,069	1,17,653.46	4,70,613.85	
2BHK - T3	12	553.856	81.084	22,55,966	112798.41	4,51,193.63	
2BHK - T4	1	553.383	81.084	22,54,074	112703.68	4,50,814.74	
2BHK - T7	1	514.396	50.999	20,83,083	104154.19	4,16,616.75	
(ii) बाकी 75% राशि का तीन वर्षों के दौरान 6 महीने तक बराबर किस्तों में भुगतान। भुगतान की नियत तिथि से पहले कोई ब्याज नहीं लगेगा। भुगतान में किसी चूक के लिए हर्जाना ब्याज देना होगा जैसा कि हरियाणा रीयल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, विनियम, 2017 के नियम 15 में प्रावधान है।							
<b>6- iKdx</b>		प्रत्येक अपार्टमेंट के लिए दुपहिया वाहन पार्किंग।					
<b>7- viKZw ds cljseal lek; foofj.k</b>		i) फ्लोरिंग : विट्रिफाइड टाइल्स फ्लोरिंग, किचन में सिरामिक टाइल्स, टॉयलेट में सिरामिक टाइल्स, बाल्कनी में सिरामिक टाइल्स क्लास-11, कॉमन एरिया : टेराकोटा टाइल्स/पेवर्स/स्टोन • खिड़कियों के फ्रेम : IS कोड के अनुसार Z सेक्शन फ्रेम • दरवाजों के फ्रेम : प्लेट इनामेल पेंट किए गए पलश डोर • वॉल टाइल्स : बाथरूम में 5 फुट की ऊँचाई तक सिरामिक टाइल्स, किचन में काउंटर के ऊपर 2 फुट की ऊँचाई तक सिरामिक टाइल्स • किचन काउंटर टॉप : ग्रेनाइट • वॉल फिनिश : सीलिंग कलर वॉल/पेंटिंग OBD के साथ • प्लम्बिंग फिटिंग : PPR या समतुल्य पाइप • सैनिटरी फिटिंग : स्टैंडर्ड डिजाइन में ISI मार्का चाइनावेयर और CP • इलेक्ट्रिक फिटिंग : ISI मार्का • स्ट्रक्चर : RCC फ्रेम स्ट्रक्चर जो नवीनतम IS कोड और NBC के सुझावों के अनुसार सीजमिक बलों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।					
<b>8- vlvu dh le; lek; j</b>		i) आवेदन पत्र दिनांक 20.8.2018 से आवेदन शुल्क 1000 रुपये भुगतान कर सिग्नेचर बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड : ग्राउंड फ्लोर, टावर A, सिग्नेचर टावर्स, साउथ सिटी 1, गुरुग्राम, हरियाणा-0124-4908200 से प्राप्त और इसी पते पर जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7053-121-121 पर। ii) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि : 3.09.2018. iii) वितरण और संग्रह केंद्रों की सूची <a href="http://www.signatureglobal.in">www.signatureglobal.in</a> पर उपलब्ध है। iv) आवेदन पत्र प्राप्त करने और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा <a href="http://www.signatureglobal.in">www.signatureglobal.in</a> पर भी उपलब्ध है।					

**9- ;k; rk %**

- आवेदक पर किसी मौजूदा कानून के तहत कानूनी तौर पर बाध्यकारी करार करने पर रोक नहीं हो।
- आवेदन कोई भी कर सकता है हालाँकि एलॉटमेंट में प्राथमिकता PMAY (पीएमएवाई) लाभार्थियों को दी जाएगी जिनमें आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आश्रित संतान शामिल हैं जिनकी पहचान 'प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए आवास' प्रोग्राम के तहत शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के तहत की गई हो। पहली प्राथमिकता कथित शहर के पहचान किए गए लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद हरियाणा राज्य के अन्य पीएमएवाई लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद बचे प्लेट के एलॉटमेंट में ऐसे आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आश्रित संतान को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका हुडा की किसी कॉलोनी/सेक्टर या हरियाणा शहरी क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की किसी लाइसेंसड कॉलोनी में अपना प्लेट/प्लॉट नहीं हो।

**vlvu dsekud %**

- अपार्टमेंट का आवंटन एक समिति के सामने लॉट्री से होगा। समिति में उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि (न्यूनतम हरियाणा लोक सेवा स्तर के अधिकारी), वरिष्ठ नगर नियोजक (सर्कल कार्यालय), संबद्ध जिले के डीटीपी और संबद्ध कोलोनाइजर के प्रतिनिधि होंगे।
- लॉट्री की तिथि निर्धारित करने के बाद डेवलपर उसी समाचार पत्र में विज्ञापन देंगे जिसमें यह मूल विज्ञापन प्रकाशित होगा। विज्ञापन में आवेदकों को लॉट्री की तिथि और स्थान के विवरण दिए जाएंगे।
- मानकों की पूरी जानकारी और आरंभिक जॉब और आवंटन के लिए निर्धारित समय सीमा के लिए आवेदक अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 के विवरण देखें जो 19.08.2013 दिनांकित अधिसूचना सं. PF-27/48921 में उपलब्ध है। (विवरण विभागीय वेबसाइट [tpharyana.gov.in](http://tpharyana.gov.in) पर उपलब्ध है)।



12 yk[k #i; s; ds vlvk \_ .k ij PMAY /A/ue-h vlvk ; kt ukZ ds rgr yxHx 2-67 yk[k #i; s; c; kt. l cfl Mh d; k ykH; mBk j



**7053-121-121**

Disclaimer: "The Real Estate (Regulation and Development) Act 2016 and the rules made there under have brought significant changes to the real estate sector. The promoter/developer is fully committed to be compliant with the provisions laid down under RERA. Promoter/Developer urges every applicant to inspect the site where the project is proposed to be constructed and shall not merely rely upon or to be influenced by any architectural impression, plan or sales brochure and therefore requested to make personal judgment prior to submitting an application for booking. The images shown here are indicative of design and for illustration purposes only further the actual design may vary in fit and finish from the one displayed above. Project details / specifications can also be accessed at the office of Haryana Real Estate Regulatory Authority website <http://haryana.in>